



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श10)
(सं० पटना 1352) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
23 जुलाई 2025

सं० वि०सं०(का०)-06/2022-1756/वि०सं०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-81, अलीनगर से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव को माननीय विशेष न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए०, दरभंगा द्वारा अपील वाद संख्या-06/2025 में दिनांक-27.05.2025 को पारित न्याय निर्णय के तहत दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाये जाने के कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के आलोक में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। उनकी सदस्यता समाप्ति एवं विधान सभा क्षेत्र संख्या-81, अलीनगर की रिक्ति के संबंध में बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना संख्या-वि०सं०(का०)-06/2022-1409, दिनांक-20.06.2025 जारी की गई थी। अब दिनांक-18.07.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Criminal Revision No.-556/2025 (श्री मिश्री लाल यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित न्याय निर्णय के द्वारा विशेष न्यायालय के उपर्युक्त वर्णित न्यायादेश को निरस्त (Set aside) कर दिया गया है, जिस कारण श्री मिश्री लाल यादव की दोषसिद्धि एवं दंडादेश निरस्त हो गयी है।

अतः सभा सचिवालय द्वारा निर्गत पूर्वादेश अधिसूचना संख्या-वि०स०(का०)-06/2022-1409, दिनांक-20.06.2025 को निरस्त करते हुए श्री मिश्री लाल यादव की सदस्यता पूर्ववर्ती प्रभाव से बहाल की जाती है ।

तदनुसार सप्तदश बिहार विधान सभा के सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

ख्याति सिंह,

प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1352-571+20-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>